

कार्यक्रम का नाम – प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ रेफरिजरेटर

FMR CODE - (B.22.4-D)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

बच्चों में यक्ष्मा के निदान के लिए आवश्यक PPD Vail जिलों को भेजी जा रही है । जिसका भंडारण शीत-श्रृंखला के अन्तर्गत (20-80 C) की जानी है । इसके लिए सभी जिला यक्ष्मा केन्द्रों में 265 ली0 रेफरिजरेटर (20-80 C वाले) का अविलम्ब क्रय अपरिहार्य है ।

इकाई लागत :-

वित्तीय मार्गदर्शन :-

रेफरिजरेटर एवं इसके लिए आवश्यक Stablizer, स्टैंड आदि का क्रय नियमानुसार इस मद के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि से की जा सकती है ।

संलग्न:-

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या-Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक-14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देशिका www.tbccindia.nic.in पर देखा जा सकता है ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :-

डा0 के0 के0 प्रसाद

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :-

0612. 2636383/ 9430216133

skumar

mla